

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2508
सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन को बढ़ावा

†2508. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः

श्री बैन्नी बेहननः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारत के चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन क्षेत्र के वर्तमान पैमाने और आर्थिक योगदान का आकलन किया है;
- (ख) क्या सरकार ने भारत को चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;
- (ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से संचालित किए गए संवर्धनात्मक अभियानों और इससे अर्जित राजस्व सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या एक एकीकृत राष्ट्रीय ब्रांड के अंतर्गत प्रत्यायित सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और पारंपरिक आयुष आधारित आरोग्य केन्द्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कोई ढांचा है;
- (ङ) क्या सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विनियामक मानदंडों, वीजा सहायता और अंतर्राष्ट्रीय विपणन को कारगर बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है; और
- (च) क्या सरकार की बेंगलुरु, कोच्चि, गुरुग्राम, वाराणसी और ऋषिकेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एकीकृत अवसंरचना के साथ समर्पित चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने की कोई योजना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से समग्र रूप से भारत का संवर्धन करता है। चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में; देश में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन का भी संवर्धन किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में

आरोग्य पर्यटन के संवर्धन के लिए एक ब्रांड फिल्म बनाया है, जिसे देश की क्षमता को एक आरोग्य संबंधी गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान चलाने के लिए यात्रा जगत के हितधारकों, विदेशस्थित भारतीय मिशनों, संबंधित मंत्रालयों आदि को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का भी उपयोग करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन से संबंधित मामलों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि सहित हितधारकों के साथ 18.03.2026 और 22.07.2026 को संवाद बैठकें आयोजित कीं।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत के चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन क्षेत्र के वर्तमान पैमाने और आर्थिक योगदान का आकलन नहीं किया है। मंत्रालय चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से अर्जित राजस्व का भी डेटा नहीं रखता है। वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय में मान्यता प्राप्त सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों और पारंपरिक आयुष-आधारित आरोग्य केंद्रों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है।

समर्पित चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन केंद्रों के विकास का समन्वय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी)-राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) द्वारा किया जा रहा है।
